रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, मई 7—मई 13, 2017, शनिवार/वैशाख 17—वैशाख 23, 1939
No. 15] NEW DELHI, MAY 7—MAY 13, 2017, SATURDAY/VAISAKHA 17—VAISAKHA 23, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21अप्रैल, 2017

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन समूह 'ग' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 2011 में, -

(1) नियम 3 में शब्द "वेतन वैंड तथा ग्रेड वेतन, वेतनमान" और "वेतन वैंड तथा ग्रेड वेतन, वेतनमान" जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर **"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"** शब्दों को रखा जाएगा;

(2) अनुसूची में ;-

(क) स्टेशन अधिकारी पद के लिए,-

(i) स्तंभ (4) में, शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ii) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300)";

(iii) स्तंभ (11) में

(क) उप-शीर्षक **पदोन्नति** के अंतर्गत,

(1) दोनों स्थानों पर विद्यमान "वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2000" प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100)" रखी जाएंगी;

(ख) स्थानांतरण के संबंध में उप-शीर्षक के अंतर्गतः- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से "वेतन वैंड-1, (5200-20200) रु. में ग्रेड वेतन रु. 2800 रु." की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)" की प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ग) **पदोन्नति** के संबंध में उप-शीर्षक के अंतर्गतः- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से "वेतन वैंड-1, (5200-20200) रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु." की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)" की प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ख) प्रमुख फायरमैन के पद के लिए

(i) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) उप-शीर्षक **पदोन्नति** के अंतर्गतः-

(i) "वेतन बैंड-1, (5200-20200) रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु." की प्रविष्टियां जहां भी हों, के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)" की प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ii) "वेतन बैंड-1, (5200-20200) + ग्रेड वेतन 1800 रु." की प्रविष्टियां जहां भी हों, के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000+56900 रु.)" की प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ग) फायरमैन के पद के लिए –

(i) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200रु.)"।

[फा. सं. मासंविनि/76257/आरआर/एफ.एफ.एस./7वां के.वे.आ./सी/पी/01/721/रक्षा(अनु.एवं वि.)/17 दिनांक 21 अप्रैल 2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

नोट : प्रमुख नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4, दिनांक 12 नवम्बर 2011 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.68, दिनांक 28 अक्तूबर, 2011 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 21st April, 2017

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011 namely :-

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts, Recruitment Rules, 2011,-

(1) in rule 3, for the words "Pay Band and Grade Pay, Pay Scale" and "Pay.

Band and Grade Pay, Scale of Pay'' wherever they occur, the words **"Level in the Pay Matrix''** shall be substituted;

(2) in the Schedule, -

(a) against the post of Station Officer, -

(i) in column (4), for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix'';

(ii) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-5(29200-92300) in the pay matrix'';

(iii) in column (11),-

(A) under the sub-heading **Promotion**, (1) for the entries of "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs.2000'', occurring at both the places, the entries "level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix'' shall be substituted;

(B) under the sub-heading relating to **Transfer:** - Through Limited Departmental Competitive Examination, for the entries ''Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2800'', the entries "level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix'' shall be substituted ;

(C) under the sub-heading relating to **Promotion:**- Through Limited Departmental Competitive Examination, for the entries "Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400'', the entries "level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix'' shall be substituted ;

(b) against the post of Leading Fireman

(i) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix'';

(ii) in column (11),-

(A) under the sub-heading **Promotion:-**

(i) for the entries "Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay of Rs.1900'' wherever they occur, the entry "level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix'' shall be substituted ;

(ii) for the entries "Pay Band -1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay of Rs.1800, the entry "level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix'' shall be substituted ;

(c) against the post of Fireman. -

(i) for entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix ".

[F. No. DHRD/76257/RRs/F.F.S./7th CPC/C/P/01/721/D(R&D)/17 dated the 21st April, 2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-4, dated 12th November, 2011 vide notification number S.R.O. 68, dated 28th October, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.19 16:10:49 +05'30'